

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**  
**मंत्रालय**

महानदी भवन, अटल नगर , नवा रायपुर, अटल नगर- 492002

पत्र क्रमांक/एनएचएम/-**ESTB/7626/2236**

नवा रायपुर, दिनांक..**15/09/2025**

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला - समस्त छत्तीसगढ़

विषय:-जिला स्तर पर एन.एच.एम.अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में।

संदर्भ:-1. छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, द्वारा जारी

पत्र क्रमांक/ ESTB/7805/2025/HEALTH SECTION-1/195 नवा रायपुर दिनांक 29.08.2025

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी पत्र क्रमांक/1907 दिनांक 14.08.2025

3. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला द्वारा जारी पत्र

4. राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी पत्र दिनांक 01.09.2025

--00--

जातव्य है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी संघ के द्वारा प्रस्तुत मांगों के संबंध में दिनांक 13/9/25 को आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्यकारिणी समिति द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सकारात्मक रूप से समाधान किया गया है - जिसका विवरण निम्नानुसार है -

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत प्रचलित मानव संसाधन नीति 2018 की कंडिका क्रमांक-35.8 अंतर्गत दुर्घटना अवकाश में प्रावधानित तीस दिन के अवैतनिक अवकाश को दुर्घटना/गंभीर बीमारी की चिकित्सकीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मानवीय आधार पर सवैतनिक अवकाश किया गया है।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत किसी भी संविदा कर्मचारी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रतिकूल टिप्पणी की स्थिति में कार्य सुधार नोटिस/सेवा समाप्ति के पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने हेतु समिति द्वारा राज्य, जिला एवं विकासखण्ड कर्मचारियों हेतु स्वीकारकर्ता एवं अपीलीय अधिकारी के संबंध में निर्देश जारी कर दिए गये हैं तथा इस हेतु ऑनलाइन पोर्टल आधारित व्यवस्था भी की जा रही है।
3. माह जुलाई 2023 की स्थिति में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई तथा निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्ति उपरांत वेतन वृद्धि प्रदान की जाए - जिस सम्बन्ध में कार्यवाही भी प्रचलन में है।

4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत समस्त संविदा मानव संसाधन को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया गया। इस हेतु HRMIS Portal में Employee Family Details Entry की कार्यवाही पूर्व से ही प्रक्रियाधीन है।
5. ग्रेड पे, अनुकम्पा नियुक्ति इत्यादि जैसे मानव संसाधन नीति से जुड़े अन्य विषयों के सम्बन्ध में संयुक्त संचालक NHM की अध्यक्षता में सात सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति गठित की गयी है जो विभिन्न राज्यों के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों में इस सम्बन्ध में प्रचलित प्रावधानों, पूर्व में गठित समिति के प्रस्तावों, राज्य में पूर्व से प्रचलित नियमों इत्यादि का अध्ययन कर निश्चित समय सीमा (गठन के तीन माह) के भीतर अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेगी।
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मानव संसाधन नीति-2018 की कंडिका-42 के अंतर्गत स्थानांतरण नीति पहले से प्रावधानित है, जिसमें NHM कर्मियों की मांग अनुसार वांछित बदलाव के सम्बन्ध में भी यह समिति अपनी सुझाव देगी। जिलों से सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु समिति द्वारा पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है।

दुःखद है कि कर्मचारियों के हित में इतने निर्णय लिए जाने के उपरान्त भी NHM के कई कर्मचारी आज दिनांक तक अनाधिकृत रूप से अपने कार्य से अनुपस्थित हैं, यह न केवल एक लोक-सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति अवहेलना है बल्कि आमजन के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को देखते हुए मानवीय आधार पर भी पूर्णतः अस्वीकार्य है। अतः लोकहितार्थ उक्त सम्बन्ध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि -

1. दिनांक 18 अगस्त 2025 से जिला के सभी अनुपस्थित अधिकारी - कर्मचारियों को प्राकृतिक न्याय के तहत दिनांक 29.08.2025 को कारण बताओं नोटिस जारी कर स्पष्ट रूप से अपने कार्यालय में उपस्थिति दिये जाने के सम्बन्ध में सूचित किया गया था कि उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा उन्हें सेवा से पृथक किया जा सकता है, पुनः निर्देश जारी किया जाए कि जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु रूप से संपादित किये जाने हेतु दिनांक 16 सितम्बर 2025 तक कार्यालयीन समय के अंतर्गत अपने कार्यालय में उपस्थिति दें।

इसके बावजूद भी उपस्थिति नहीं देने वाले सभी अधिकारी/कर्मचारी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मानव संसाधन नीति-2018 के खंड 34.2 के अनुसार "एक माह का नोटिस देते हुये सेवा समाप्ति की कार्यवाही करें, तथा इससे होने वाले रिक्तियों पर नियमानुसार नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए।

2. NHM संविदा कर्मचारियों की अनाधिकृत अनुपस्थिति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 एवं मानव संसाधन नीति-2018 के खंड 34.3 का उल्लंघन है एवं कदाचार की श्रेणी में आता है। अतः पूर्व में प्रेषित निर्देशानुसार "कार्य नहीं वेतन नहीं" के सिद्धांत का पालन करते हुए अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि के वेतन/मानदेय का भुगतान किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को नहीं किया जाये।

Digitally signed by

AMIT KATARIA

Date: 15-09-2025

13:21:56

सचिव,

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन,

पृ.क्र./एन.एच.एम./ESTB/7626/2236  
प्रतिलिप -

नवा रायपुर, दिनांक 15/09/2025

1. आयुक्त सह मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति संबंधित जिला (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
4. कार्यालयीन प्रति।

सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन